भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS
केंद्रीय कार्यालय **CENTRAL OFFICE**
मुंबई **MUMBAI**

प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION
सं. No. 209/2024

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन **कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री पेमेंट्स)** को भारत में **25 अक्तूबर 2024** से प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

25 अक्तूबर 2024 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।

गुणवीर

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree Payments)** is hereby granted Certificate of Authorisation to set up and operate payment system for Prepaid Payment Instruments in India with effect from **October 25, 2024** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this **25th day of October 2024.**

(Gunveer Singh)
Chief General Manager-In-Charge

पिछले पृष्ठ पर दिया गया प्राधिकार का प्रमाणपत्र निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है:
The Certificate of Authorisation is being issued as overleaf subject to the following terms and conditions:

1.	प्राधिकार का प्रमाण पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति भारत में कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री पेमेंट्स) (भुगतान प्रणाली प्रदाता) के मुख्य परिसर और इसके अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। The Certificate of Authorisation or a certified copy thereof shall be displayed at the main premises of Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree Payments) (Payment System Provider) and its other offices in India.
2.	प्राधिकार केवल प्रीपेड भुगतान लिखतों के लिए भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए है। कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री पेमेंट्स) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के प्रावधानों, उसके तहत जारी किए गए नियमों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करेगा। The Authorisation is only to set up and operate payment system for Prepaid Payment Instruments. Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree Payments) shall adhere to the provisions of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act), regulations issued thereunder, and the directions / guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.